न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –भारती भारद्वाज आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 3/2022

तहसीलदार मनियां लैण्ड होल्डर तहसील मनियां ....प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मढाभाऊ
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मढाभाऊ .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआरए

उपस्थिति – श्री पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.02.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मढाभाऊ की आराजी खसरा नम्बर 197 में से वर्तमान में 811/197, 812/197, 813/197, 814/197 की तरमीम पूर्व में की जा चुकी है। इन तरमीमों के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश की गई तब मौके की स्थिति भिन्न पाई गई उनके द्वारा पूर्व की तरमीमों को (811/197, 812/197, 813/197, 814/197) को निरस्त किये जाने तथा नई प्रस्तावित तरमीम के अनुसार पुनः तरमीम किये जाने के आदेश करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया वह बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी हल्का मढाभाऊ, तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा, मौका पर्चा पटवारी हल्का मढाभाऊ, फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2076–79 बाके ग्राम मढाभाऊ, फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2072–75 बाकै ग्राम मढाभाऊ पेश किये है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिलिपि नक्शा अक्स के अनुसार ग्राम मढाभाऊ की आराजी खसरा नम्बर 197 मे तरमीम की जाकर नक्शा में तरमीम खसरा नम्बरान को प्रदर्शित किया गया है किन्तु पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत पैमाईस रिपोर्ट के अनुसार उसके द्वारा नक्शा अक्स में दर्शित खसरा नम्बरो की मौके की स्थिति के अनुसार भिन्नता होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन में जिन खसरा नम्बरान की

डाधिकारी
र (राज.)

तरमीम किये जाने का आवेदन किया है वह खसरा नम्बर चारागाह एवं अन्य खातेदारो के नाम रेकार्ड में दर्ज है तथा चारागाह भूमियां ग्राम पंचायत के संरक्षण में होती है अतः 197 में से वर्तमान में खसरा नम्बर 811/197, 812/197, 813/197, 814/197 की मौके पर जांच एवं पैमाईस के उपरान्त वर्तमान नक्शा अक्स में तरमीम किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार मंनिया को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 एल0आर0एक्ट प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मंनिया को निर्देश दिये जाते है कि वह ग्राम मढाभाऊ की आराजी खसरा नम्बर 197 मेसे बनाये गये आराजी खसरा नम्बर 811/197, 812/197, 813/197 एवं 814/197 की वर्तमान नक्शा अक्स में तरमीम शुद्व किये जाने के संबंध में खसरा नम्बरो की पुनः मौकें की जांच एवं पैमाईस करने के उपरान्त यदि तरमीम किया जाना आवश्यक समझते है जो वह उक्तानुसार कार्यवाही कर पुनः नक्शा तरमीम करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)